

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 02-09-2026

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में संशोधन।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I के परिशिष्ट-8 (विभागाध्यक्षों की सूची) में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. After the existing entry number 465, the following new entry number 466 shall be added as under :-

"466. कमाण्डेन्ट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान, जयपुर।"

आज्ञा से,


(महेन्द्र मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी।
10. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।


संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 06/2026)